

5.3.25

पत्रावली पेक्षा दुई। अनुक्रम उपस्थित।
 पत्रावली का अवलोकन किया। पूर्व पेक्षा पर
 T. 10.12. रिपोर्ट पेक्षा से मुळी है। T. 10.12.
 रिपोर्ट के अवलोकन से यह बात अग्रा
 की बाद कास्ट भूमि वर्तमान में आवादी दर्ज
 रिपोर्ट है। मुळी आवादी भूमि पर बाजस्थान
 जागतिकी अधिनियम की धारा 183 लागू
 नहीं होने से बाद इस न्यायालय के प्रावगाधिकार
 में नहीं है। निहाय बाद खारिज किया जाता
 है। पत्रावली फ़ैसल नुमार कर दखिल दफ़तर
 से।

उपखण्ड अधिकारी
 गढी, जिला बांसवाडा

